

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 497/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, एल/जी, दी गुमान फर्स्ट, आग्रपाली सर्किल, वैशाली नगर,
जयपुर एवं ग्यारवी मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल,
मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमति नेहा शेखावत

पता- प्लाट नम्बर 47, लक्ष्मी नगर विस्तार, गली नम्बर-6, जोधपुर स्वीट के पीछे, निवारु रोड,
झोटवाडा, जयपुर

एवं प्लाट नम्बर 129, अवधपुरी कालोनी, मॉय मून एन्वलेव द्वितीय, कालवाड रोड झोटवाडा, जयपुर
एवं एम एफ प्रोसेस एण्ड सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्रेस्टीज टावर, आग्रपाली सर्किल,
जयपुर

2. श्री अजय सिंह राठौड

पता- प्लाट नम्बर 47, लक्ष्मी नगर विस्तार, गली नम्बर-6, जोधपुर स्वीट के पीछे, निवारु रोड,
झोटवाडा, जयपुर

एवं प्लाट नम्बर 129, अवधपुरी कालोनी, मॉय मून एन्वलेव द्वितीय, कालवाड रोड झोटवाडा, जयपुर
एवं ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, अग्रसेन टावर, शेखावाटी हास्पिटल के सामने, जयपुर

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.06.2023



1. संक्षेप में प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु
जयपुर (राजस्थान) के रूप में अप्रार्थी श्रीमति नेहा शेखावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 47,
लक्ष्मी नगर विस्तार, निवारु रोड, झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 220 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक
31.07.2017 को राशि 32,00,000/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा
प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के
अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये तथा दो
अखबारों में भी साया करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज
भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of
Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु
आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

क
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकारता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पुष्टि में वित्तीय संस्था के वित्तीय विवरण की प्रति प्रस्तुत की है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 32,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिमूर्ति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 34,57,200/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.11.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमति नेहा शेखावत के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 47, लक्ष्मी नगर विस्तार, निवारु रोड, झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 220 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
7. आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर